मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२१

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२१ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:— **अनुसूची का संशोधन.**

अनु-क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
"३८	एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह	ओजस्विनी समदर्शी न्यास, १०३ वसुंधरा अपार्टमेंट, सुरेन्द्र पैलेस, होशंगाबाद रोड, भोपाल	मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	एकलव्य विश्वविद्यालय ओजस्विनी नगर, सागर रोड, दमोह	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३९	श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर	श्री अरबिन्दो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर-उज्जैन स्टेट हाइवे, एमआर-१० के रोड पास, सांवेर रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४०	महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर	श्री आर. एस. एजुकेशनल सोसायटी, जबलपुर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	महाकौशल विश्वविद्यालय, ग्राम ऐंठाखेड़ा चरगवाँ रोड, पोस्ट तिलवारा, जबलपुर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेशों के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर तथा महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिए हैं. उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किये गए थे. अब उक्त अध्यादेशों के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ फरवरी, २०२१

डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेशों के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर तथा महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिए थे. उक्त अधिनियम की धारा-९, में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना ए संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२०, (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्विती संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) इस प्रायोजन के लिए प्रख्यापित किये गये थे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) से उद्धरण.

धारा - १ से ४३ * * * *

अनुसूची

[धारा ९(१) देखिए]

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
१.	जे. पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राघौगढ़, गुना.	जयप्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली.	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	जे.पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर राघौगढ़, जिला गुना.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, भोपाल.	ऑल इण्डिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, ग्राम-मेंदुआ, भोपाल-चिकलोद रोड, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३.	एमीटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (क्रमांक २१ सन् १८६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	एमीटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, सांवेर रोड, रेवती रेंज के सामने, जखया, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल.	सार्वजनिक जनकल्याण परमार्थिक न्यास, भोपाल.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास रोड, भानपुर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
६.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी, ग्वालियर.	समता लोक संस्थान, ट्रस्ट, ग्वालियर.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी परिसर, एन.एच. ७५ झांसी रोड, सिंथौली, ग्वालियर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
७.	रामकृष्ण धर्मार्थ युनिवर्सिटी, भोपाल.	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	रामकृष्ण धर्मार्थ युनिवर्सिटी, आर.जी.पी.व्ही. परिसर, एयरपोर्ट बायपास के पास, गोंदरमऊ, गांधी नगर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
८.	स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी, सागर.	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीनं रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, एन.एच.-२६ ग्राम-सिरोंजा, सागर (म. प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
९.	ए.के.एस. युनिवर्सिटी, सतना.	ए.के.एस. चेरिटबल ट्रस्ट, सतना.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास.	ए.के.एस. युनिवर्सिटी, शेरगंज, पन्ना रोड, सतना, सतना (म. प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१०.	टेक्नो-ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला-विदिशा.	टेक्नो इंडिया ट्रस्ट, कोलकाता.	भारतीय न्यास अधिनियम, १९८२ (१९८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास.	टेक्नो-ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला-विदिशा.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
११.	जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय, भोपाल.	जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत-मुंगालिया छाप, तहसील-हुजूर भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१२.	श्री सत्यसांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर.	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	श्री सत्यसांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१३.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल.	आर.के.डी.एफ. एजुकेशन सोसायटी, २०२ गंगा-जमना काम्पलेक्स, जोन-१ एम.पी. नगर, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एन.एच. १२, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१४.	एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, भोपाल.	एच.के. कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट, ३१-श्यामला हिल्स, भारत भवन रोड, भोपाल.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास.	एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, जे. के. टाउन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१५.	श्री वैष्णव विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, इन्दौर.	श्री वैष्णव विद्यापीठ, ट्रस्ट श्री वैष्णव विद्या परिसर, १७७ जवाहर मार्ग, साउथ राज मोहल्ला, इन्दौर.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास.	श्री वैष्णव विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, ग्राम बारोली, सांवेर रोड, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१६.	पी. के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी.	सोनल एजूकेशन सोसायटी, ग्राम तेहरा, हाथरस रोड, पोस्ट सोनई, जिला मथुरा, उ. प्र.	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (सन् १८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	पी. के. विश्वविद्यालय, ग्राम थानरा, तहसील करैरा, एन.एच.-२५ शिवपुरी.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१७.	मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर.	भंवरलाल नाहटा स्मृति संस्थान, महू-नीमच रोड, भंवरलाल नाहटा मार्ग, मंदसौर.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्र. ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मंदसौर विश्वविद्यालय, बायपास स्क्वायर, रेवास देवड़ा रोड, मंदसौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१८.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, इन्दौर.	मेडीकेप्स चेरिटेबल ट्रस्ट, २०१, पुष्परत्न पैराडाइज, ९/५ न्यू पलासिया, इन्दौर.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्र. ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, ए. बी. रोड, पिगडाम्बर राउ, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१९.	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर.	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, २०२ गंगा-जमुना काम्पलेक्स, जोन-१, एम.पी. नगर, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर-देवास बायपास रोड, ग्राम अरण्डीया, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२०.	मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	मयंक्स वेलफेयर सोसायटी १०४ त्रिशूल अपार्टमेंट, ०५, सांघी कॉलोनी, ए. बी. रोड, इन्दौर.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	मालवांचल विश्वविद्यालय, एनएच-५९-ए, नेमावार रोड, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२१.	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय,	जी.एच.आर. सन्स एजुकेशनल एण्ड मेडीकल रिसर्च फाउण्डेशन, ३४५, श्रद्धा हाउस, किंग्सवे, नागपुर	कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा २५ (क्रमांक ०१ सन् १९५६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी.	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, मौजाग्राम धोधाबो[illegible], ग्राम सांईखेड़ा, त[illegible], सौंसर, जिला छिं[illegible].	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
२२.	डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर.	डेली कालेज सोसाइटी १, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	डी. सी. विश्वविद्यालय १, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (विश्वविद्यालय का परिसमापन हो गया है).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२३.	सिम्बायसिस युनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेस, इन्दौर.	सिम्बायसिस फाउन्डेशन, डी-३, सौमीनगर, न्यू दिल्ली.	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक आर.ओ.एस./ नार्थ ९८/१० दिनांक १६-१०-२०१०	सिम्बायसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेस, ग्राम बांगडदा, तहसील हातौद, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२४.	अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन.	महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड एजुकेशनल रिसर्च १२४ एक्स सर्विसमेन कॉलोनी ऑफ पाउड रोड, कोथरूड, पूणे.	बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५० (बाम्बे अधिनियम, क्रमांक २९ सन् १९५०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक ट्रस्ट.	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम ग्राम लेकोडा, तहसील जिला उज्जैन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२५.	व्ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर.	व्ही.आई.टी. ट्रस्ट. २६/४७ मुसा स्ट्रीट टी. नगर, चैन्नई तमिलनाडु.	क्र. ६५४/१२ के अधीन रजिस्टर्ड ट्रस्ट, तमिलनाडु.	व्ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल-इन्दौर राष्ट्रीय हाईवे कोठरी कला, जिला सीहोर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२६.	सेज विश्वविद्यालय, इन्दौर.	ट्रवा एजुकेशन सोसायटी, सागर प्लाजा २५०, जोन-२ एम.पी. नगर, भोपाल.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्र. ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	सेज विश्वविद्यालय, कैलोद-करताल, इन्दौर-देवास बायपास, राऊ, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२७.	रैनेसा विश्वविद्यालय इन्दौर.	कौटिल्य चन्द्रगुप्त एजुकेशन सोसायटी, ग्राम रिओटी सांवेर रोड, अरविन्दो हास्पीटल, इन्दौर.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्र. ४४)	रैनेसा विश्वविद्यालय, ग्राम रिओटी सांवेर रोड, अरविन्दो हास्पीटल, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२८.	मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल.	वंशपति स्मृति शिक्षा समिति पटेल कॉलेज परिसर रातीवड़, भोपाल.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्र. ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
२९.	भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल.	आयुष्मति एजूकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, २०२ गंगा-जमुना काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्र. ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	भाभा विश्वविद्यालय, एन. एच-१२ होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३०.	मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, सीहोर.	श्री सांई ग्रामोत्थान समिति, शॉप नं. १ मानसरोवर परिसर, कोलार रोड, भोपाल.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण निर्वापारिक निगम अधिनियम, १९६२ (सन् १९६२ का क्र. २०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम रत्लाखेड़ी एवं ग्राम गाडिया, ब्लॉक बिल्किसगंज, सीहोर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३१.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट.	विंध्य शिक्षा समिति, सरदार पटेल परिसर गायखूरी, बालाघाट.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्र. ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, नॉलेज सिटी, डोंगरिया, वारासिवनी रोड, बालाघाट.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३२.	डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, खण्डवा.	ऑल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट, भोपाल).	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्र. ४४) की धारा १३ की उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	डॉ. सी. वी. रमन, विश्वविद्यालय, पोस्ट छैगांव माखन, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३३.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर.	स्व. श्री बलवीर सिंह गौतम, शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति, छतरपुर.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्र. ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, नेशनल हाईवे ८६ ग्राम पंचायत बूदौर, जिला छतरपुर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३४.	मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर.	सर्वसहारा फाउण्डेशन, एस-१९१/सी, द्वितीय तल, मानक काम्पलेक्स, शकरपुर, नई दिल्ली-९२.	कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ क्रमांक ०१) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी.	मंगलायतन विश्वविद्यालय, एनएच-१२ ए नियर शारदा देवी मंदिर रिचई, बरेला, जबलपुर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३५.	आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल.	इन्फोटेच एजूकेशन सोसायटी, आई. ई.एस. परिसर, कालखेड़ा, रातीबड़ मेन रोड, भोपाल.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्र. ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, आई.ई.एस. परिसर, कालखेड़ा, रातीबड़ मेन रोड, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
३६.	सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन.	गुरू हरगोविन्द सोसायटी, १३, लाला लाजपत राय कालोनी, रायसेन रोड, भोपाल.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम अगरिया चौपड़ा, जिला रायसेन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३७.	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल.	श्री अग्रवाल एजुकेशनल पब्लिक ट्रस्ट २५०, सागर प्लाजा जोन-२ एम. पी. नगर, भोपाल.	म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय कटारा एक्सटेंशन सहारा बायपास रोड, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.